

Need for adequate Minimum Support Price (MSP) for farmers across the country

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारे किसान अभी भी अस्थिर बाजार मूल्य, बढ़ती उत्पादन लागत एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 2006 में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय किसान आयोग' ने सभी फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन की भारत औसत लागत से 50 प्रतिशत निर्धारित करने की सिफारिश की थी। इस फार्मूले को 'C2+50' कहा जाता है, जिसमें कुल उत्पादन लागत, भूमि पर अनुमानित किराया एवं ब्याज शामिल होता है, जिससे किसान को उचित लाभ एवं वित्तीय स्थिरता मिल सके।

महोदय, 2022 में राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस सिफारिश का पालन करेगी एवं एमएसपी को उत्पादन की कुल लागत के डेढ़ गुना पर निर्धारित करेगी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों का एमएसपी मंजूर किया। हालाँकि सरकार दावा करती है कि वह एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुणा पर निर्धारित करती है, लेकिन वास्तव में यह गणना 'A2+FL' पर आधारित होती है, न कि 'C2' पर।

महोदय, 13 फरवरी, 2024 को पंजाब एवं हरियाणा में किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन किया, जिसमें दुर्भाग्यवश 22 किसान, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, की मृत्यु हो गई एवं 160 से अधिक किसान घायल हुए।...(व्यवधान)... जिन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन से निशाना बनाया गया।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया आप बैठ जाए।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: उपसभापति महोदय, एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं एवं 2022 में इन आत्महत्याओं में से लगभग 10 प्रतिशत महिलाएं थीं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: उपसभापति महोदय, किसानों को जलवायु परिवर्तन और असंगत सरकारी व्यापार नीतियों के कारण लगातार बढ़ती मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।...(व्यवधान)...

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल सभी फसलों के एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत का 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए एवं एमएसपी की कानूनी गारंटी को सुनिश्चित किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Prakash Chik Baraik: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

श्री सभापति: डा. राधा मोहन दास अग्रवाल।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, बमुश्किल आधे मिनट का समय है, इसलिए मैं इसे वापस कर रहा हूँ और आपसे यह आग्रह है कि कल इसे प्रथम सूचना के रूप में ले लें।

श्री सभापति: आप तो आधे मिनट में भी बहुत कुछ कह सकते हैं।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, विषय महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति: आप अपने नाम की और गौर कीजिए - राधा, मोहन।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, आपका आभारी हूँ।

श्री सभापति: ऐसा है कि अग्रवाल को emphasize करने के लिए मैं पीयूष गोयल जी की तरफ देख रहा था and he has not let me down.

12.00 Noon

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No.286.